**बिहार सरकार**
**परिवहन विभाग**

**पत्रांक– 06/विविध–31/2017** 5989 **पटना, दिनांक–** 14/9/18

**प्रेषक,**

**संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0,**
**सरकार के सचिव,**
**परिवहन विभाग, बिहार।**

**सेवा में,**

**सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।**

**विषयः– अन्य राज्यों के पंजीकृत वाहनों का बिहार राज्य के अंतर्गत अवैध परिचालन पर नियंत्रण।**

**महाशय,**

उपर्युक्त विषयक परिवहन विभाग को विभिन्न स्त्रोतों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि 'अन्य राज्यों में निबंधित वाहन' का अवैध परिचालन बिहार राज्य के अंतर्गत किया जा रहा है या यहाँ के स्थायी निवासी आस–पास के राज्यों में अवैध रूप से वाहनो का निबंधन करवा रहे हैं।

यह एक अत्यंत गंभीर मामला है जिसका सम्यक अनुश्रवण आवश्यक है।

2. आप सभी (जिला परिवहन पदाधिकारी) भलीभाँति अवगत हैं कि मोटरवाहन अधिनियम की धारा–39 के अनुसार किसी सार्वजनिक स्थान में अथवा किसी अन्य स्थान में किसी मोटरयान को कोई व्यक्ति तभी चलाएगा और कोई मोटरयान का स्वामी तभी चलवाएगा या चलाने की अनुज्ञा देगा जब वह यान इस अध्याय के अनुसार रजिस्ट्रीकृत हो तथा यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र निलंबित या रद्द न किया गया हो और यान पर रजिस्ट्रीकृत चिन्ह विहित रीति से प्रदर्शित हो।

परंतु इस धारा की कोई बात ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, उस मोटरयान पर लागू नहीं होगी जो किसी व्यवसायी के कब्जे में हो।

उक्त अधिनियम की धारा–40 के अनुसार धारा–42, 43 और 60 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक मोटरयान का स्वामी यान को उस रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी से रजिस्टर करवाएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास स्थान या कारबार का स्थान है जहां कि यान आमतौर पर रखा जाता है।

मोटरवाहन अधिनियम की धारा–49 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अपने निवास स्थान अथवा व्यवसाय स्थल में परिवर्त्तन के फलस्वरूप वाहन स्वामी यदि प्रासंगिक मोटरवाहन का परिवर्तित स्थान पर उपयोग करते हैं तो अधिकतम 30 दिनों के अंतर्गत वाहन स्वामी द्वारा परिवर्तित स्थल से संबधित 'निबंधन प्राधिकार' (जिला परिवहन पदाधिकारी) को उक्त क्षेत्र में वाहन उपयोग की सूचना विहित प्रपत्र में दिया जाना अनिवार्य है। इसके पश्चात् ही उक्त परिवर्त्तित क्षेत्र में प्रासंगिक वाहन का परिचालन विधिमान्य होगा।

3. इस प्रकार अन्य राज्यों के निबंधित मोटरवाहनों का उपयोग यदि बिहार राज्य के अंतर्गत नियमित रूप से किया जा रहा हो और संबंधित क्षेत्र के निबंधन प्राधिकार (जिला परिवहन पदाधिकारी) को विधिमान्य सूचना प्राप्त नहीं हो, तो यह स्पष्टरूपेण मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है एवं वाहन का परिचालन अवैध है।

4. अतः सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नियमित रूप से परिचालित होने वाले वैसे वाहन जो अन्य राज्य में निबंधित हैं, की प्रत्येक सप्ताह जाँच करावें तथा नियमानुसार "वसूलनीय कर" एवं "दंड" भी अधिरोपित करना सुनिश्चित करें। बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–28 (7) सह पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम, 3, 2013) की धारा–8 में प्रावधान है कि **राज्य से बाहर निबंधित वाहन यदि बिहार राज्य में बिना कर भुगतान किये या बिना वैध परमिट के परिचालित पाये जाते हैं, तो उन**

249

वाहनों को **"30 (तीस) दिनों तक अस्थायी परिचालन के लिए निर्धारित कर "एवं "उक्त कर की दुगुनी राशि" अर्थदंड के रूप में उनके द्वारा भुगतेय होगा । अर्थ दण्ड की राशि किसी भी परिस्थिति में रू0 5000/– (पाँच हजार) से कम नहीं होगी।** (Vehicles registered in other States, if found plying in the State of Bihar without payment of prescribed taxes or without a valid permit, shall be liable to pay taxes prescribed for 30 days period for vehicles plying under temporary permit and in addition to this, a penalty equal to two times of tax amount. Amount of penalty shall not be less than Rs. 5000/-.)

5. सीमावर्त्ती जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को विशेष रूप से यह निदेशित किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल 'ट्रेड अनुज्ञप्ति धारक की सं0''उनके द्वारा बिक्री की गई वाहन की कुल संख्या' तथा 'उक्त कोटि के वाहनों के कुल निबंधन' संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण कर यह सत्यापित करें कि आपके क्षेत्राधिकार अंतर्गत कोटिवार जितने मोटर वाहनों का विक्रय हुआ, उसी के अनुरूप निबंधन हुआ अथवा नहीं? यदि नहीं हुआ, तो उसका कारण क्या है एवं उन वाहनों का निबंधन राज्य से बाहर अन्य राज्यों में तो नहीं हुआ? यदि ऐसा हुआ, तो उसका संभावित कारण क्या है? क्रेताओं की सूची प्राप्त कर उनका सत्यापन करें। यदि डीलर की मिलीभगत है तो उनपर भी कार्रवाई करें । तद्नुसार वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अंतर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करें। ऐसे वाहनों की जाँच हेतु एक चेकस्लीप भी इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

6. इसी प्रकार व्यवसायिक वाहन भी जो अन्य राज्य में निबंधित हैं, उनका इस राज्य के अंतर्गत परिचालन मोटरवाहन अधिनियम की धारा–66 के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकार (STA) अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (RTA) द्वारा प्रदत्त "परमिट" के अनुरूप ही किया जा सकता है। इनमें राष्ट्रीय परमिट, अस्थायी परमिट, अंतर्राज्यीय समझौतों के अन्तर्गत अनुमोदित मार्ग के परमिट, ऑल इन्डिया टैक्सी परमिट तथा विशेष परमिट इत्यादि हो सकते हैं। बिना वैध परमिट के अथवा परमिट प्राप्त होने पर भी निर्धारित शर्तों के प्रतिकूल–यथा अनुमोदित मार्ग से भिन्न, निर्धारित संख्या से अधिक फेरी, इत्यादि मोटरवाहन अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

विशेष रूप से वैसे व्यवसायिक वाहन जिन्हें किसी प्रकार का परमिट प्राप्त नहीं है और इस राज्य के अंतर्गत निबंधित भी नहीं हैं, वैसे मोटरवाहनों के विरूद्ध प्रत्येक सप्ताह विशेष अभियान चलाकर "करवंचना" एवं अवैध परिचालन के विरुद्ध कार्रवाई करें तथा विहित दंड अधिरोपित करना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें।

**अनुलग्नकः**–जाँच हेतु चेकस्लीप।

विश्वासभाजन

ह0/–

**(संजय कुमार अग्रवाल)**

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–06/विविध–31/2017 5989 पटना, दिनांक– 14/9/18

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12/9/18

सरकार के सचिव

## बिहार से भिन्न राज्यों में निबंधित वाहनों के अवैध परिचालन की जाँच हेतु

## चेकस्लीप

1. मोटरवाहन का निबंधन किस क्षेत्र का है? (जिला एवं राज्य) :–
2. मोटरवाहन का क्रय किस क्षेत्र के ट्रेड अनुज्ञप्तिधारी से किया गया है? (जिला एवं राज्य) :–
3. मोटरवाहन स्वामी का आवासीय पता 'निबंधन प्रमाणपत्र' (R.C.) में क्या दर्ज है? (जिला एवं राज्य) :–
4. यदि मोटरवाहन अन्य राज्य में निबंधित है, तो इस राज्य के अंतर्गत परिचालन वाले क्षेत्र से संबंधित निबंधन प्राधिकार (जिला परिवहन पदाधिकारी) के यहाँ विधिमान्य सूचना दर्ज कराई गई है अथवा नहीं? (R.C. की प्रविष्टि के अनुसार) :–
5. ऑल इन्डिया टैक्सी परमिट अथवा विशेष परमिट यदि प्राप्त है तो जाँच की अवधि में विधिमान्य है अथवा नहीं?
6. फिटनेश, प्रदूषण एवं निवास स्थान, इंश्योरेंश एवं टॉल प्लाजा रसीद की जांच का आधार होगा ।
7. यदि बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम एवं अन्य नियमों का उल्लंघन है तो उसका विवरण तथा कृत कार्रवाई।

जिला परिवहन पदाधिकारी